F18·80846

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं.1, सैक्टर– नॉलेजपार्क–04, ग्रेटर नौएडा, उ0प्र0

पत्रांक–ग्रेनो / बिल्डर्स / 2018 / 1418
दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों से अतिदेयता की वसूली के दृष्टिगत अतिदेयता के रि–शिडयूलमेंट हेतु प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 के मद संख्या – 112 / 6 में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तत्क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 17.07.2018 जारी किया गया।

उक्त संदर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 17.07.2018 के बिन्दु संख्या "ज" में निम्नानुसार उल्लेख हैः–

"जिन आवंटियों को पूर्व में पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई थी, परन्तु जारी पेमेंट प्लान के अनुसार उन्होने न्यूनतम तीन किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें भवष्यि में पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी ।"

उक्त बिन्दु में स्पष्टता न होने के कारण रि–शिडयूलमेंट के आवेदनों के निस्तारण में कठिनाई आ रही थी ।

अतः प्रकरण को प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 10.09.2018 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महाप्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक (बिल्डर्स) उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के उपरान्त कार्यालय आदेश दिनांक 17.07.2018 के बिन्दु "ज" को निम्नानुसार स्पष्ट किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गईः–

"रि–शिडयूलमेंट के पश्चात आवंटी को कम से कम तीन किश्तें जमा करनी होंगीं, उसके बाद की किश्तों के डिफॉल्ट करने पर ही रि–शिडयूलमेंट की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

यदि आवंटी रि–शिडयूलमेंट की न्यूनतम तीन किश्तें जमा नहीं करता है तो उसे यह सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी ।"

उपरोक्तानुसार 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2018 के मद संख्या–113 / 13 में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. प्रबंधक (बिल्डर्स)
4. प्रबंधक, सिस्टम को उपरोक्त आदेश को बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

24.12.18

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी